न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या - 04/2024 निर्णय दिनांक -17.10.2024

(प्रा.पत्र अ धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के अन्तर्गत)

स्वरूप देवी उर्फ कमला देवी पुत्री खीराज पत्नि मंगतराम जाति मेघवाल निवासी सुखचैनपुरा हाल निवास कुकडावाली तहसील एवं जिला फतेहबाद हरियाणा

.......प्रार्थी..........

बनाम-

01- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)

02- महेन्द्र पुत्र श्री खिराज जाति मेघवाल साकिन सुखचैनपुरा तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़।

उपस्थिति- 01. श्री रणजीत कुमार भाम्भू, वकील प्रार्थी
02. पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर

::-निर्णय ::-

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया व अप्रार्थी नं. 2 के नाम से संयुक्त खाता मे वाके चक 5 पी.टी.डी. के खाता संख्या 11/14 के पत्थर नं. 236/362 (9) के किला न. 16/1 में 0.228 हैक्टर 16/2 में 0. 025 हैक्टर खाला, 17 ता 24 में 2.024 हैक्टर 25/1 में 0. 228 हैक्टर 25/2 में 0.025 हैक्टर इस प्रकार कुल 2.530 हैक्टर कमाण्ड मय खाला भुमि प्रार्थीया के नाम 1/2 हिस्सा (यानि 1.265 हैक्टर कमाण्ड मय खाला) खातेदारी भुमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिस पर प्रार्थीया का हिस्सानुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त रकबा प्रार्थीया को अपने माता पिता से विरास्तन प्राप्त हुआ है। उक्त जैरवाद रकबा में प्रार्थीया का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयों में नाम स्वरूपदेवी पुत्र खीराज अंकित है। जबकि प्रार्थीया के सभी दस्तावेजो जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड राशन कार्ड, बैक पास बुक इत्यादि में प्रार्थीया का नाम कमला देवी पत्नी मगंतराम अंकित है। इसलिए प्रार्थीया अपने दस्तावेजो के आधार पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी चक 5 पी.टी.डी. के खाता न. 11/14 में अपना नाम स्वरूप देवी पुत्री [illegible] देवी उर्फ कमला देवी पुत्री खीराज पत्नी मगंतराम अंकित करवाना [illegible] है। प्रार्थीया को दो नामों से [illegible] इसलिए विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में घर का बोलचाल वाला नाम [illegible] देवी पुत्री खीराज दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीया का सही नाम कमला देवी [illegible] राज दर्ज है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में स्वरूपदेवी पुत्री खीराज के स्थान पर स्वरूपदेवी उर्फ कमला देवी पुत्री खीराज पत्नी मगंतराम अंकित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.11.07 10:14:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जाता है तो किसी भी पक्षकार को व राज्य सरकार को कोई नुकसान नही होगा। इसलिए भी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। प्रार्थीया का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में स्वरूपदेवी पुत्री खीराज नाम दर्ज हो जाने से प्रार्थीया को राज्य सरकार से मिलने वाली योजना का लाभ नही ले पा रही है। मुताविक दस्तावेजी साक्ष्य आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक व मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित नाम स्वरूपदेवी पुत्री खीराज के स्थान पर स्वरूपदेवी उर्फ कमलादेवी पुत्री खीराज पत्नी मगंतराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो को मध्यनजर रखते हुए चक 5 पी.टी.डी. के खाता संख्या 11/14 के पत्थर नं. 236/362 (9) के किला न. 16/1 में 0.228 हैक्टर 16/2 में 0.025 हैक्टर खाला, 17 ता 24 में 2.024 हैक्टर 25/1 में 0. 228 हैक्टर 25/2 में 0.025 हैक्टर कुल 2.530 हैक्टर कमाण्ड भुमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम स्वरूप देवी उर्फ कमला देवी अकिंत करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आदिनांक 17.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायायल में सुनाया गया।

शंकुतला
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीविजयनगर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.11.07 10:14:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner